

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 293 /12-1

नई टिहरी, दिनांक- 06/08/ 2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अरथाई खण्ड, लो०नि०वि०,
घनसाली, मुख्यालय-घुमेटीधार।

विषय-

जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 2 व घनसाली कोटी-अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी० 3 को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण 0.245 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/14661/2015)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय
(उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्र
सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/24/2018/एफ०सी०/563, दिनांक:-06-07-2020 तथा अपर
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का
पत्रांक-175/FP/UK/ROAD/14661/2015, दिनांक:-20-07-2020।

महोदय,

जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 2 व घनसाली कोटी-अखोडी मोटर मार्ग के कि०मी० 3 को जोड़ने हेतु अर्द्धगी में भिलंगना नदी पर स्टील गार्डर मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण 0.245 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगा:-

- 1- शर्त सं०-01 के अनुसार वन भूमि की विधिक स्थित अपरिवर्तित रहेगी।
- 2- शर्त सं०-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी, इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
- 3- शर्त सं०-03-प्रतिपूरक वनीकरण :-
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 490 पौधों का रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार दी गयी वनाच्छादित वन भूमि में किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु०-6,52,190.00 (छ: लाख बावन हजार एक सौ नबे रुपये मात्र) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों को एकल कृषि से बचें। 490 पौधों के रोपण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-

490 वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि के मांग का आंकलन

- 1-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित पौध/वृक्ष की संख्या - 490
- 2-वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रति पौध दर - 1331.00 रुपये प्रति पौध
- 3-वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि की मांग- 490 पौधX1331.00=6,52,190.00
(छ: लाख बावन हजार एक सौ नबे रुपये मात्र)

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4- शर्त सं0-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5- शर्त सं0-05-शुद्ध वर्तमान मूल्य:-
(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक:-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक:-18-09-2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक:-03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु0-1,60,965.00 (एक लाख साठ हजार नौ सौ पैसठ रुपये मात्र) की धनराशि 0.245 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार है:-

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन

- 1-ईको-ब्लास श्रेणी - V
- 2-हरियाली का घनत्व- 0.3
- 3-एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रुपये- 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 0.245 है0
- 5-कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-0.245 है0 X 6,57,000.00 = 1,60,965.00
(एक लाख साठ हजार नौ सौ पैसठ रुपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

6- शर्त सं0-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelings para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission. शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

7- शर्त सं0-07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 16 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी, शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

8- शर्त सं0-08 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

9- शर्त सं0-09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

10- शर्त सं0-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

11- शर्त सं0-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

12- शर्त सं0-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीएडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफरिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र, घन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

13- शर्त सं0-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

14- शर्त सं0-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

15- शर्त सं0-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

16- शर्त सं0-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

17- शर्त सं0-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

18- शर्त सं0-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

19- शर्त सं0-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

20- शर्त सं0-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।


21- शर्त सं0-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

22- शर्त सं0-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक-29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

क्रमशः - - 4 - -


- 23- शर्त सं0-23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 24- शर्त सं0-24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 25- शर्त सं0-25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। शर्त का अनुपालन करते हुए इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 26- शर्त सं0-26 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : 293 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी